

28/2/18

वकील काही उपस्थित। प्रार्थना पत्र 75 के साथ पेश मूल  
वाद आदि। त्वीकार योग्य होने पर डिप्टी जाय की जा चुकी  
है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य हो गया है। अहमदाबाद  
प्रार्थना पत्र ड्रॉप की जाती है। मित्रल फौजल शुभार होकर नाम  
से काम होकर दाखिल दफ्तर है।

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
मसूदा (अजमेर) राज०

